भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *251
06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न
खाद्यान्नों की घर-घर डिलीवरी

*251. **श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत विशेषकर जलगाँव सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी राज्यों में घर-घर खाद्यान्न पहुँचाने की योजना लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा और प्रविधियां क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे दिव्यांगजन और बुजुर्ग लाभार्थियों (65 वर्ष से अधिक) के लिए कोई विशेष प्रावधान या योजना शुरू की गई है जिनके परिवार का कोई वयस्क सदस्य राशन कार्ड प्रणाली से जुड़ा नहीं है;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसके कवरेज, कार्यान्वयन की स्थिति और इसमें शामिल राज्यों/जिलों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उक्त योजना को विशेषकर जलगाँव क्षेत्र सहित देशभर में पूरी तरह से कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

लोक सभा में दिनांक 06.08.2025 को उत्तरार्थ "खाद्यान्नों की घर-घर डिलीवरी" विषय पर तारांकित प्रश्न संख्या *251 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार शासित होती है। इस अधिनियम के तहत केन्द्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालन किया जाता है, जबकि नामित डिपुओं से खाद्यान्नों का उठान, राज्य के भीतर अतिरिक्त परिवहन और हैंडलिंग, प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से उचित दर दुकानों के द्वार तक खाद्यान्नों की डिलीवरी, लाभार्थियों को चिह्नित करना, उनके राशन कार्ड जारी करना और उचित दर दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण सहित प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां राज्य सरकार की होती हैं। इस अधिनियम के तहत लाभार्थियों के द्वार तक खाद्यान्नों की डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ड.): इस अधिनियम के तहत, लाभार्थियों को दो श्रेणियों के तहत चिह्नित किया जाता है- अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाल परिवार, जिन्हें उक्त योजना के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा तक राज्य सरकार द्वारा चिह्नित किया जाता है और शेष परिवार, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर, उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासन द्वारा प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में, दिव्यांगजनों और बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए खाद्यान्नों की द्वार तक डिलीवरी के लिए कोई प्रस्ताव या योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

****